

कार्यालय प.ह.न. ....रा.नि.म..... तहसील..... जिला.....

प्रति,

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय  
तहसील..... जिला.....

विषय : सामान्य वर्ग में 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु (EWS) प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में जांच प्रतिवेदन बावत ।

-----0000-----

विषयान्तर्गत श्री /श्रीमती/कुमारी..... पुत्र /पति/पुत्री .....  
जाति..... निवासी..... द्वारा सामान्य जाति वर्ग में आरक्षण (EWS)  
प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है । शपथ-  
पत्र अनुसार बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार आवेदक एवं उसके परिवार के नाम पर किसी भी राज्य अथवा जिले में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं है (जिसके खसरे में, तीन साल से लगातार ऊसर, पथरीली, बीहड़, भूमि अंकित हो वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी )
2. आवेदक एवं आवेदक के परिवार में नगर पालिक निगम अंतर्गत 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नहीं है ।
3. आवेदक एवं आवेदक के परिवार के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नहीं है ।
4. आवेदक एवं आवेदक के परिवार के पास नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नहीं है ।
5. आवेदक एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8,00,000/- रुपये शब्दों में आठ लाख रुपयों से अधिक नहीं है ।
6. शपथ-पत्र के उल्लेखित संपत्ति के अतिरिक्त संपत्ति होने पर शपथकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा ।

अस्तु वस्तुस्थिति का जांच प्रतिवेदन श्रीमान की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

पटवारी  
पटवारी हल्का नंबर

## स्थल पंचनामा

हम सभी हस्ताक्षरकर्ता यह तसदीक करते हैं कि आज दिनांक..... को पटवारी हल्का नंबर..... ग्राम..... रा.नि.मं..... तहसील..... जिला..... मे पटवारी जी द्वारा आवेदक की चल/अचल संपत्ति की मौका जांच करने उपस्थित हुए । मौके पर जांच कर यह पाया गया कि आवेदक..... पिता/पति..... इसी गाँव का निवासी है । इसकी जाति..... है जो कि सवर्ण वर्ग मे आते है । आवेदक के एवं पिता/माता के नाम ग्राम..... मे भूमि खसरा नंबर..... कुल रकबा..... हेक्टेयर भूमि अभिलेखों मे दर्ज है । एवं आवेदक का एवं पिता/माता का ग्राम..... मे..... वर्गफुट का..... (पक्का /कच्चा /अर्द्ध कच्चा ) मकान है ।

अतः हम सभी हस्ताक्षरकर्ता आवेदक की उक्त चल/अचल संपत्ति का सत्यापन करते है । स्थल पंचनामा मौके पर तैयार किया गया एवं उपस्थित व्यक्तियों को पढ़कर सुनाया गया तथा जानकारी से संतुष्ट होने पर मौका स्थल पर ही हस्ताक्षरित किया गया ।